

RAJYA SABHA

*Saturday, the 3rd June, 1972/the 13th
Jyainha 1894 (Saka)*

The House met at eleven of the clock, MR
CHAIRMAN in the Chair.

**CALLING ATTENTION TO A MATTER OF
URGENR PUBLIC IMPORTANCE**

**REPORTED ACUTE SHORTAGE OF CEMENT IN
THE COUNTRY**

SHRI SWAISINGH SISODIA (Madhya
Pradesh) : Sir, I beg to call the attention of
the Minister of Industrial Development to the
reported acute shortage of cement in the
country particularly for agricultural purposes.

THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOP-
MENT (PROF. SIDDHESHWAR PRASAD) :
Sir, the cement industry in the country has at
present an instolod capacity of 19.5 million
tonnes per annum, spread over 50 Units. The
production of cement during 1971 was 14.9
million tonne* and except for marginal
shortage of cement in certain areas, no serious
complaints have been received from the other
parts of the country.

Normally during the period May to
September every year, local shortage of
cement arises in certain regions in the country
due to diversion of railway wagons for the
movement of foodgrains. This year production
of cement has also been affected due to closure
of a factory in the eastern region as well as
inadequate supply of power to certain factories
situated in Andhra Pradesh, Gujarat etc. One
or two factories have also complained about
shortage of coal due to transport Bottleneck.

During the first quarter of this year
(January to March, 1972), there has been short
supply of railway wagons for the movement of
cement. During the first quarter of last year
(1971), the despatch of cement by rail was
29.49 lakh tonnes, which has fallen to 29.12
lakh tonnes during the first quarter of the
current year even though the production has
gone up. Factories situated on the South-
Eastern Railway were

severely affected as (hey obtained only 56%
of the wagons indented by them. Conse-
quently supplies to the eastern region in-
cluding West Bengal and Assam were affec-
ted. Imposition of movement restrictions on
certain routes have also affected supplies, for
example, to Delhi.

In order to improve the supply position
permission has been granted in appropriate
cases to factories situated in distant areas to
arrange supplies even, if necessary, over
dearer routes at a higher freight. More liberal
movement by road is also being permitted and
also by rail-cum-mad. Railway authorities
have been requested to step up the supply of
wagons. Supply of cement through coastal
shipping is also being considered. Actual
movement of 10,000 tonnes has taken place to
West Bengal from the surplus Southern
Region.

With a view to preventing the exploitation
of shortage of cement, the Delhi Ad-
ministration has also issued an Order on the
28th April, 1972, bringing cement under the
purview of the Delhi Specified Articles (Price
Control) Order, 1971, fixing the retail price of
cement in the Union Territory of Delhi.
Similar measures for regulating the retail
distribution and sale of cement may be taken
by other State Government where shortage is
experienced.

To prevent the occurrence of shortage of
cement on account of transport bottlenecks,
the creation of cement dumps near scarcity
areas is also being pursued actively in
consultation with Railways.

As a long term measure to improve the
cement supply position, the augmentation of
capacity for cement manufacture is also being
encouraged. An additional capacity of 7
million tonnes by way of new units and
expansion of old units has been licensed or
approved and the approval of a further
capacity of 6.7 million tonnes is also under
various stages of examination.

SHRI SWAISINGH SISODIA : Is the
honourable Minister aware that in Madhya
Pradesh cement bags are sold from Rs. 2 to Rs. 4
more than the rate fixed and the stockists are
hoarding cement bags and selling openly at
higher prices ? What are the steps which the
Covernment of India is thinking of taking

[Shri Swaisingh Sisodia] in order to meet the growing demand of cement and how will the hardships of the consumers in general and agriculturists in particular due to non-availability of cement at reasonable prices be solved ?

PROF. SIDDHESHWAR PRASAD : As I have pointed out just now, as far as the question of shortage is concerned, firstly, there is no shortage of cement. If at all the shortage is due to non-availability of wagons. From Madhya Pradesh Government till today we have not received any complaint regarding shortage of cement. Further, if Madhya Pradesh feels that there is any shortage or there is any overcharging of price, then like Delhi Administration they are also empowered to take such steps which they think are necessary for regulating the price.

"Supply of Railway wagons to cement

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार):

श्रीमान ने स्वीकार किया कि रेलवे वॉगंस की कमी के कारण सीमेंट की कठिनाई है और इसको बजह से काफी दिक्कत हो रही है। अभी रेलवे वॉगन की कमी की एक सूचना टेलीग्राम के द्वारा दी गई है कि रेलवे वॉगन की कमी के कारण क्या स्थिति है। यह राजस्थान से श्री जगदीश प्रसाद माथुर को एक टेलीग्राम मिला है इसी सम्बन्ध में:

industry in the State is very irregular and erratic. Huge stocks accumulated. Fear lay-off which may cause serious labour unrest. Erratic movement of cement also causing agitation in consumers. Cement is also a defence item and deserves priority consideration. Understand Railway Minister discussing with Chief Ministers speedy movement of food grains on third June. Intervention is requested in impressing cement movement discussions also in the said meeting since cement being Defence and priority commodity. If special *ad hoc* allotment of wagons not made situation may arise to cause production loss labour lay-off and other unrofit in general.

Honorary Secretary,
Rajasthan Chamber."

तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब इस तरह के टेलीग्राम आते हैं, तो आपने इसको एक्सपेडिट करने के लिये रेलवे से कहा है, सभी जगह जहाँ पर सीमेंट का ह्यूज एकुमुलेशन हो रहा है उसके लिये आपके विभाग ने क्या कार्य-वाही की। श्रीमान्, यही नहीं कि ह्यूज एकुमुलेशन के कारण देश को जितनी सीमेंट की आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं होती है बल्कि उत्पादन की भी कमी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार के पालामऊ जिले में एक दर्जन सीमेंट फेक्ट्री चलाने के लायक लाइम स्टोन पहाड़ हुआ है, तो उस ओर भी सरकार का ध्यान गया है या नहीं। सरकार ने अभी एक रेफरेंस किया दिल्ली का और दूसरी जगहों का सीमेंट की कमी के बारे में शिकायत उसे मिली है लेकिन मुझे पता है कि बिहार में भी सीमेंट की इतनी ही दिक्कत है। तो इस ओर सरकार ने क्या कदम उठाये हैं।

प्र० सिद्धेश्वर प्रसाद: अभी मैंने यह स्पष्ट रूप से बताया कि सीमेंट का अभाव उत्पादन की कमी की वजह से नहीं है और सीमेंट का जगह जगह जो अभाव पाया जाता है उसकी वजह है कि वॉगंस की कठिनाई है। हमारे मंत्रालय के अधिकारियों ने रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से समय समय पर इस सम्बन्ध में बात की है और जहाँ तक सम्भव हुआ है अधिकाधिक मात्रा में रेलवे वॉगंस मिल सके इसके लिये हमारे मंत्रालय के अधिकारियों ने बराबर प्रयत्न किया है।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: कंटेनरिजरी तो कोई जवाब नहीं है। बात किया है लेकिन कब बात किया और कितने कितने के लिये बात की। यह सब बतायें।

प्र० सिद्धेश्वर प्रसाद: उसके लिये आप अलग से सूचना दीजिये कि उसके बारे में हम लोगों ने कब कब और कितनी कितनी बात की।

श्री बनारसी दास (उत्तर प्रदेश): कोई कठिनाई नहीं है अगर किसी स्टेशन पर . . .

श्री सभापति : बनारसी दास जी, मैंने अभी आपको नहीं बुलाया ।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद: वंगन की वजह से क्या कठिनाई होती है इसका एक उदाहरण मैं इस सदन के सामने देना चाहता हूँ कि सीमेंट के लिये 1971 वर्ष में हम लोगों ने 7 लाख 59 हजार 550 वंगस का इडेंट किया लेकिन वंगस कुल हमको मिले 5 लाख 74 हजार 765 और उसमें भी वंगस में सीमेंट लादने का जो काम था उसमें भी थोड़ी कमी हो गई और कुल 5 लाख 42 हजार 474 वंगस में सीमेंट लादी जा सकी । सीमेंट का उत्पादन करने वालों की कठिनाई यह है कि उत्पादन सीमेंट का होता है लेकिन वंगन न मिलने की वजह से सीमेंट वहां से गया नहीं और उपभोक्ताओं की कठिनाई यह है कि चूंकि उन तक सीमेंट पहुंचता नहीं है इसलिये अगर जगह जो उसके विक्रता है वह मूल्य में वृद्धि कर देते हैं ।

माननीय सदस्य ने एक अलग से यह सवाल उठाया कि पलामू जिले में सीमेंट के लिये काफी कच्चा माल है । वह अलग प्रश्न है । सरकार वहां इस बात के लिये विचार कर रही है कि जो सीमेंट की फेक्ट्री बन्द है सीमेंट की वह फेक्ट्री खुल सके । अभी बिहार सरकार के अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत हुई है और अन्तिम रूप से इसके बारे में निर्णय लिया जायगा और हम लोग यह कोशिश करेंगे कि वहां उत्पादन-क्षमता बढ़ाई जा सके ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन् सवाल यह है कि सीमेंट के लिए वंगन की कमी है, तो इस समस्या का निदान क्या हो ? तो निदान अभी तक पेश नहीं कर रहे हैं । अगर रेलवे मिनिस्ट्री नाकाबिल है, तो कैबिनेट में सवाल जा सकता है और इस बात का निर्णय हो सकता है

कि रेलवे मिनिस्ट्री सचमुच में असमर्थ है क्या जो किसी भी कीमत पर जनता को सीमेंट नहीं पहुंचा सकती है, तो इसके लिए केंद्रीयकनी कुछ निराकरण तो करें ।

श्री सभापति : आप कुछ कहना चाहते हैं, वंगन न होने में जो दिक्कत होती है उसके बारे में ?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: श्रीमन्, मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि रेलवे वंगन की जहां कठिनाई होती है वहां हमने यह कोशिश की है कि सड़क के जरिए सीमेंट पहुंचाया जाए । अभी 1971 के वर्ष में...

श्री सभापति: यानी, आप कोशिश कर रहे हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: जी हां, कोशिश कर रहे हैं कि रेल के अलावा सड़क और समुद्र के रास्ते से भी सीमेंट पहुंचाया जा सके ।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : श्रीमन्, मैंने जो पूछा वह यह है कि...

श्री सभापति: अब बैठ जाइए, मैंने सुन ली है आपकी बात । अभी ठहर जाइए, वह बता रहे हैं ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: श्रीमन् मैं यह कह रहा था कि रेलवे वंगन की कठिनाई सदन को मालूम है इसलिए हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा भाड़ा दे कर अगर सड़क के माध्यम से, ट्रक से सीमेंट जहाँ लेजा सकते हैं, तो उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं । उसमें 10 रु. प्रति टन ज्यादा खर्चा पड़ रहा है । वह 10 रु. पर टन ज्यादा खर्चा भी हम दे रहे हैं और जहाँ तक सम्भव है हम समुद्र के माध्यम से भी सीमेंट लेजाने की कोशिश कर रहे हैं और हाल में हमने कलकत्ता

[श्री सिद्धेश्वर प्रसाद]
में समुद्र के माध्यम से 10,000 टन सीमेंट
भिजवाने की व्यवस्था की।

श्री सीताराम सिंह (विहार): श्रीमन् हमारी
एक व्यवस्था का सवाल है।

श्री सभापति: इसमें व्यवस्था का सवाल
कैसा है?

श्री सीताराम सिंह: व्यवस्था का सवाल
यह है कि माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में
यह कबूल किया है कि रेलवे बंगन की कठि-
नाई की वजह से यह संकट पैदा हो गया है।
तो मैं मंत्री से जी जानना चाहता हूँ कि जब यह
जानकारी आपको है कि रेलवे बंगन की कठि-
नाई से यह संकट है तो वह संकट दूर करने के
लिए मंत्रालय की ओर से कौन सा प्रयास किया
गया है?

श्री सभापति: इसमें व्यवस्था का सवाल
नहीं है।

श्री नवल किशोर (उत्तर प्रदेश): अभी
मंत्री जी ने कहा कि उत्पादन की कमी की वजह
से कमी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि
आपके सारे देश की रेलवायरमेंट डिफरेंट
सेक्टर्स की क्या है और टोटल प्रोडक्शन
आपके पास क्या है। यह जो दोनों के बीच गैप
है इसको पूरा करने के लिए कौन से कदम
उठाए जा रहे हैं।

दूसरी चीज, डिस्कंट्रोल करने के बावजूद
सीमेंट की कीमत बढ़ी है उसको रोकने के लिए
सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं क्योंकि हम
देखते हैं कि काश्तकार को कुए की नलियां बनाने
के लिए सीमेंट प्राप्त नहीं होता है। तीसरी बात
क्या बैंगन्स नहीं हैं या बैंगन्स के मूवमेंट में कोई
खंडलाक है और अगर मिनिस्ट्री के बीच में
कोऑर्डिनेशन करने के लिए कौन सी एजेंसी
है?

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: श्रीमन्, जहां तक
डिमान्ड और सप्लाई में गैप का सवाल है, अभी
जो स्थिति है उसमें कोई गैप नहीं है, हमको
जितना सीमेंट चाहिए उतना उत्पादन कर रहे
(Interruption) श्रीमन्, मैं पिछले 3 वर्षों के
आंकड़े देता हूँ सदन के सामने:— 1969-70
में सीमेंट का उत्पादन 13.8 मिलियन टन हुआ
और उस समय सीमेंट का बितरण किया गया,
उसकी आपूर्ति की गई, 13.70 मिलियन टन

जितनी मांग थी उतनी पूर्ति की गई, 1970-71
में सीमेंट का उत्पादन हुआ 14.3 मिलियन टन
और 1971-72 में सीमेंट का उत्पादन 15
मिलियन टन होगा और आवश्यकता भी उतनी
ही है। अभी माननीय सदस्य ने बंगन के बारे
में बताया। पूरे सदन को और देश को यह
बात मालूम है कि पिछली दिसम्बर से और
उसके बाद तक की लड़ाई की वजह से सर्वोच्च
प्राथमिकता रेलवे विभाग को देनी पड़ी, लड़ाई
की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए।

इस बात के बाद सदन को इस बात का
भी पता है कि बंगला देश को हमने बहुत सी
वस्तुएं सप्लाई करने के बारे में निर्णय लिया था
और वहां मामान भेजने के लिए प्राथमिकता
देनी पड़ी। इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात यह
है कि जिस मौसम में सीमेंट की मांग देश में
बहुत ज्यादा हो जाती है उसी समय रेलवे
विभाग के सामने खाद्यन्नों को ले जाने के लिए
बैंगन्स की मांग भी बढ़ी जाती है और खाद्यन्नों
को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की
उसको व्यवस्था करनी पड़ती है। इन कारणों
से ऐसी कठिनाई हो जाती है जिनके कारण
सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने
में कठिनाई आ जाती है। ऐसी बात नहीं है
कि रेलवे मंत्रालय जान बूझकर इस तरह कि
कठिनाई पैदा कर रहा है। इस वर्ष युद्ध की
स्थिति पैदा हो गई थी, बंगला देश की बात आ
गई थी और यही कारण है कि रेलवे विभाग
को यह फैसला करना पड़ा कि इन दो चीजों
के लिए पहले प्राथमिकता दी जाय। बैसे जिन
इलाकों में सीमेंट की कमी हो गई थी उन
इलाकों के लिए हमने सड़क और समुद्र के द्वारा
सीमेंट भेजने की व्यवस्था कर दी थी।

श्री नवल किशोर: मैंने एक सवाल यह भी
पूछा था कि सीमेंट की कमी की वजह से उसकी
कीमत भी बढ़ गई है, इसके बारे में आपने कुछ
नहीं बतलाया?

श्री सभापति: कीमत के बारे में कार्लिंग
एटेंशन नहीं है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद: मैंने यह बतलाया कि
अगर दिल्ली प्रशासन उनके खिलाफ कदम उठा
सकता है। उसी प्रकार हमने हर राज्य सरकारों
को यह अधिकार दे रखा है कि अगर कोई
सीमेंट के ज्यादा दाम लेता है, सीमेंट कम देता
है या सीमेंट में मिलावट करता है, तो उसके

खिलाफ कदम उठा सकती है। दिल्ली प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कदम उठाया और उसने दो आदमियों को गिरफ्तार भी किया। इसी तरह से मद्रास सरकार ने भी कदम उठाया और वहाँ एक आदमी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से दूसरी सरकारें भी आवश्यक कदम उठा सकती हैं।

श्री अकपाली शुक्ल (मध्य प्रदेश): मैं माननीय मंत्री जी से यह बातना चाहता हूँ कि अभी आपने बताया कि 13 मिलियन टन, 14 मिलियन टन और 15 मिलियन टन सीमेंट का प्रोडक्शन हुआ और उसकी सप्लाई की गई, लेकिन बास्तविकता यह है कि देश में इस समय कितनी डिमांड है, इसका क्या आपने अन्दाज लगाया है? क्योंकि हर जगह सीमेंट की इतनी मांग है कि लोगों को समय पर सीमेंट काम के लिए नहीं मिल पाता है। मेरा तो यह अनुमान है कि जितनी मांग है उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ, जितनी भी देश में सीमेंट की फैक्टरियाँ हैं और उनके द्वारा जो प्रोडक्शन किया जाता है उसका जोन्स के मूलाधिक उचित ढंग से बंटवारा किया जाता है? क्या सरकार ने इस चीज के लिए जोन्स बनाये हैं और क्या एक जोन का माल दूसरे जोन में नहीं जा सकता है? क्या सरकार की ओर से इस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में बतलाने की कृपा करेंगे?

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि विगत वर्षों में कई जगहों में, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बस्तर और नीमच में जहाँ पर रा-मंटरियल काफ़ि मात्रा में मिलता है, वहाँ पर बहुत दिनों से मांग की जा रही है कि सीमेंट के कारखाने लगाये जायें। बस्तर जो एक आदीवासी इलाका है, जहाँ रा-मंटरियल प्राप्त है, वहाँ पर सीमेंट का कारखाना लगाने के सम्बन्ध में कई बार लिखा गया है लेकिन अभी तक कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन जगहों में सीमेंट को कारखाने लगाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है? क्या सरकार इन जगहों में कारखाने लगाने के बारे में अपनी समर्थता प्रकट करती है, यह बात मैं जानना चाहता हूँ।

श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने अभी बताया

कि जहाँ तक सीमेंट के उत्पादन का सवाल है और जहाँ तक सीमेंट की मांग का सवाल है, इन दोनों के बीच में धाई नहीं है। इस देश में जितनी सीमेंट की आवश्यकता है उतना ही प्रोडक्शन भी हो रहा है। जहाँ तक क्षेत्रों का सवाल है, इसके लिए चार क्षेत्र बनाये गये हैं आम तौर पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सीमेंट ले जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि इससे व्यय बढ़ जाता है और फिर वेगनों की कठिनाई हो जाती है। जब कोई विशेष स्थिति पैदा हो जाती है तब ही एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में सीमेंट ले जाने की इजाजत दी जाती है। हम इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं कि सारे देश में लोगों को एक ही कीमत में सीमेंट मिले। अभी जब जरूरत हुई तो पूर्वी क्षेत्र में दिक्षणा क्षेत्र का सीमेंट भजा गया। माननीय सदस्य ने बस्तर में कारखाना खोलने के बारे में सवाल किया, जो मेरे सामने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री भौला प्रसाद (बिहार:) सीमेंट की कमी तो है, लेकिन देखने में यह आता है जितनी कमी है उससे ज्यादा बनावटी कमी है और जो थोक व्यापारी है वे बड़े पैमाने पर इसका ब्लेक मार्केट कर रहे हैं और ज्यादा पैसा लोगों से ले रहे हैं।

मैं अभी 24 तारीख को बिहार के एक गांव लखिसराय में गया था। वहाँ पर बिसान नहर बनाने के लिए सीमेंट की मांग कर रहे थे जो उनको नहीं मिल रहा था। मिलता नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सीमेंट के बहुत ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। 15 रुपया, 16 रुपया एक बोरे के देने पड़ते हैं तब जाकर सीमेंट मिलता है। अब अधिकारियों के पास इस सम्बन्ध में जाते हैं तो वे ध्यान नहीं देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया है कि वे व्यापारियों के साथ सख्ती बरते ताकि वे नाजायज ढंग से व्यापारी फायदा न उठायें और लोगों को परेशान न करें।

श्री० सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने अभी बताया कि हर राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार ने अधिकार दे रखा है कि अगर कहीं मूल्य वृद्धि होती है या वितरण में कहीं कोई असंतोषजनक स्थिति होती है तो राज्य सरकार उसके लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। मैंने कुछ उदाहरण भी दिये, कुछ राज्यों के, सभी राज्यों

के उदाहरण नहीं दिये लेकिन राज्य सरकार चाहे तो आवश्यक कार्यवाही कर सकती है। फिर अगर इस प्रकार के कोई विशेष उदाहरण हमारे सामने लाये जायेंगे जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया तो मैं उस के लिए बिहार सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा।

श्री पीतम्बर दास (उत्तर प्रदेश): श्रीमन् नवल किशोर जी ने पूछा था सीमेंट का उत्पाद कितना है और देश को आवश्यकता कितनी है...

श्री सभापति : इस का उन्होंने जवाब दे दिया।

श्री पीतम्बर दास: केवल उत्पादन के आंकड़े उन्होंने दिये, फिर श्री चक्रवाणि शुक्ल ने बहुत साफ साफ कैटेगोरिकली पूछा कि भाप को आवश्यकता कितनी है तो यह कह दिया गया कि करीब करीब जितना उत्पादन है उतनी ही आवश्यकता है। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह आंदाजे से कह दिया गया कि जितना उत्पादन है उतनी ही आवश्यकता है या इस के लिए कोई सर्वे भी किया गया है। और अगर जितना उत्पादन था उतनी ही आवश्यकता थी तो 70 के मूकामिले 1971 में ज्यादा उत्पादन क्यों किया गया, अगर आवश्यकता उतनी ही थी तो 1972 में ज्यादा उत्पादन क्यों किया गया। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई सर्वे किया गया है या आंदाजे से कह दिया गया कि जितना उत्पादन है उतनी ही आवश्यकता है।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने आंदाजे से कुछ नहीं कहा, यह पूरा सर्वेक्षण किया गया है। यह मामूनी सी बात है कि मांग बढ़ती जाती है। '70 और '71 के आंकड़े देते हुए मैंने बताया कि '70 में जो मांग थी वह 1971 में नहीं थी। उत्पादन के आंकड़े भी मैंने इस लिए बताये कि '70 में जो उत्पादन था वह '71 में नहीं था। '70 में जो मांग थी '71 में मांग भी उससे ज्यादा हो गयी और '71 में उत्पादन भी ज्यादा हो गया।

श्री पीतम्बर दास : मांग कितनी बढ़ गई।

श्री मान सिंह वर्मा : मांग के साथ उत्पादन बढ़ता है या उत्पादन के साथ मांग बढ़ती है ?

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : यह मैंने बताया।

श्री टी० एन० सिंह (उत्तर प्रदेश) : मेरी समझ में प्रोजेक्शन्स रहे हैं सीमेंट की डिमांड के और जो एकचुअल प्रोडक्शन हुआ है, उसके बारे में जो हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने इन्डिकेशन्स दिए हैं वह ठीक नहीं हैं। हमारा प्रोडक्शन सीमेंट का डिमांड से ज्यादा रहा है। अगर मैं भूलता नहीं हूँ तो 15 टु 16 रहा है, 13.8 आपने बताया उसके बजाय इस वास्ते सीमेंट कारपोरेशन के तीन, चार प्रोजेक्ट चल रहे थे, वह सब बिहाइन्ड शेड्यूल्ड हैं। यह तो आपको मानना होगा कि जो आपके सीमेंट के प्रोजेक्शन के कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स होते हैं, सीमेंट के प्रोडक्शन के लिए वह बिहाइन्ड शेड्यूल्ड हैं। यह कहना कि आपका प्रोडक्शन जो डिमांड थी उतना था, आपने उमसे डिमांड को भी कर लिया है, यह अनुचित होगा इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। I am an authority on this subject.

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : माननीय सदस्य ने एक एसी बात कही है, जिसमें कि वे अथारिटी हैं। मैं उसको चैलेंज नहीं करना चाहता।

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal): Why not nationalise cement ? It is a simple thing.

श्री मान सिंह वर्मा : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने सीमेंट की कीमत बढ़ाने का सारा दोष बैगन्स की शार्टेज पर डाल दिया है। यह सही है कि बैगन्स की कमी है और उनके कारण माल समय पर नहीं पहुँच पाता है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बकी हुई कीमत देकर जो व्यक्ति जितनी चाहे उतनी सीमेंट ले सकता है, वह सीमेंट कहां से आती है ? उसके लिए कहीं कमी नहीं है, सौ, दो सौ, हजार बैग्स ले लीजिए। उन लोगों को कहां से मिलती है ? क्या वे प्राइवेट तरीके से आपको फैक्टरीज से ही सीमेंट ले आते हैं, इस पर प्रकाश डालने की कृपा कीजिए।

प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद : मैंने बताया कि राज्य सरकार को इसके लिए अधिकार दिया गया है। जहां इस प्रकार की स्थिति हो वह उसके लिए कार्यवाही कर सकती है।

श्री प्रेम मनोहर (उत्तर प्रदेश) : इतनी शार्टेज है सीमेंट की . . .

श्री सभापति : शार्टेज बोलने वालों की तो नहीं है।

श्री प्रेम मनोहर : आखिर मंत्री महोदय इसके लिए करने क्या जा रहे हैं ?

श्री सभापति : एक-एक पार्टी के तीन-तीन लोगों को बुला चुका हूँ अब आप बैठिये ।

SHRi B. K. KAUL (Rajasthan) : The other day at the time of the Appropriation Bill the Railway Minister made a categorical statement that there is no shortage of wagons whereas I find now the Minister of Industrial Development saying that there is no shortage of wagons and so the movement of cement is hampered. May I know whether there is co-ordination between the Railway Ministry and the Ministry of Industrial Development to find out whether there is shortage or whether it is a man-made shortage brought about by interested parties ?

PROF. SIDDHESHWAR PRASAD : This is a question which should really be addressed to the Minister of Railways. I cannot say anything on behalf of the Railway Ministry.

SHRI GANESHI LAL CHAUDHARY (Uttar Pradesh) : Sir, it is joint responsibility and yet . . .

MR. CHAIRMAN : Yes, yes I know it is joint responsibility.

SHRI HIMMAT SINGH (Gujarat): The Minister has painted rather a rosy picture of the cement position in the country but the fact remains that there is universal shortage of cement in the country. I would like the Minister to examine what is the actual ratio of installed capacity to the actual production in the country because if you find that the installed capacity is never reached and production falls short of the installed capacity that means that there is something wrong. The other day there was a debate here on a Private Member's Resolution regarding removal of controls etc In that connection I had occasion to mention that at the Sawai Madhopur factory which is the largest factory in Asia the production was about 50 per cent of the installed capacity and this shortage in the opinion of many in the country has been deliberately created because there is at the moment a tariff enquiry going on about cement. The idea is curtail production show higher costs

importance

and ask for higher Costs As far as distribution of cement is concerned the problem is not as simple as the Minister has tried to make out. The problem is . . .

MR. CHAIRMAN : You now put your question.

SHRI HIMMAT SINGH : My question is this. Would the Minister insist upon the producer of cement to open up silos at the various centres of consumption where cement is very urgently required and if that has not been pursued what is the reason why the producers have not put up these distributing centres and equipped them with silos ?

PROF. SIDDHESHWAR PRASAD : I do not know whether my hon. friend was present when I was making the original statement. In my original statement I had mentioned that to prevent the occurrence of shortages of cement on account of transport bottlenecks the creation of cement dumps nearer scarcity areas is also being pursued actively in consultation with the Ministry of Railways. What the hon. Member has suggested is already before the Government and we are making efforts in consultation with the Ministry of Railways to see that such silos or dumps are created.

As far as the Sawai Madhopur factory is concerned I am not aware of the particular situation. If there is a man made shortage certainly Government would see that there is no such shortage and that this factory produces to its rated capacity the only condition being that there is no shortage of coal or power for the factory.

SHRI BHUPESH GUPTA ; Sir, Mr Himmat Singhji who ought to know better about cement than the Minister answerin the question has told that there is artificial scarcity created by the cement kings or producers. The hon. Minister has not said anything about that. There is a big gap between the installed capacity and actual production and there is a deliberate plan to always maintain a scarcity market so that profiteering and blackmarketing can go on. In view of this—my friend talks of silos only—why can't the Government take over this important industry especially when

it is behaving in this manner and not even carrying out its pledges to the Government? What is the difficulty in taking over the entire industry and putting it in the public sector ?

PROF. SIDDHESHWAR PRASAD :
Sir, in the public sector we have already the Cement Corporation and there we are trying to see that the Corporation has as many factories as possible. As for as other units are concerned there is no proposal before the Government to nationalise or take them over.

REFERENCE TO THE TWENTY-FIFTH ANNIVERSARY CELEBRATIONS OF INDIAN INDEPENDENCE

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal):
Sir, I have taken permission from you. All over the country this year the twenty-fifth anniversary of independence will be celebrated and plans are being made. Only yesterday there was a meeting of the committee, of which the Prime Minister is the Chairman, and which I attended and my friend also attended. How Sir, in this connection. I would like to make only one suggestion which I could not make there for lack of time and besides the suggestion will be made public here. On this occasion, there should be a general amnesty of detenus, political detenus and other political prisoners. All the State Governments should consider such a proposal constructively and sympathetically with a view to declaring amnesty to political prisoners, be they detenus or other-wise convicted for political offences. I would also like to ask the Governments of all the States to commute all death sentences. In this connection I would ask the Central Government to show the lead because it is within the power of the Central Government to advise the President to commute death sentences. As you know, a Naxalite prisoner, a Naxalite political worker, Nagabhushan Patnaik, is under death sentence in Andhra Pradesh. This sentence should be commuted by the Government immediately on this occasion and also similar other sentences. Commutation of death sentences is one of the ways of marking this occasion. Besides, I should also like the Government to draw up plans for helping in a more suitable and on a

permanent basis the political sufferers. During the days of the British they and especially their families suffered. These are the suggestions I have to make. I am sure you, Sir, share the sentiments. I would request through you Mr. Mirdha and the Government that the matter should be taken up with the State Governments along with other plans, the plan for the commutation of death sentences and to begin with the sentence on Nagabhushan Patnaik and also others. Measures for the amnesty of detenus and political prisoners should be worked out, so that we can in a befitting manner mark the celebrations.

MR. CHAIRMAN : No doubt the Government will consider the suggestion.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA) : I will convey it to the Government.

REFERENCE TO LABOUR SITUATION IN THE RANIGANJ COLLIERY BELT

SHRI MONORANJAN ROY : (West Bengal) : A serious situation has developed in the Raniganj colliery belt where all the central trade unions working among the colliery workers have given notice of a strike to be effective from the 12th of this month. Now, we know the serious situation. If the strike goes on it is for an unlimited period. Their demand is for the payment of variable dearness allowance of which the majority of the workers are being deprived. Again and again the attention of the Ministry of Labour has been drawn to this by various means. Nothing has been done yet. We find that political workers are being arrested under MISA on a police inspector's report, but when the workers are being deprived of their dues, this Act is not being applied against the employers. Now they can apply DIR on the employers. They can apply MISA. They can be arrested thereby the workers who are not getting their dearness allowance could have been paid by this time. Secondly, they are being deprived of 8-1/3 percent bonus which is being paid to other workers. Thirdly, the closed mines should be reopened and taken over by the Government. Fourthly, about gratuity the Government of India's Labour